UPFZ040170302022
Reg. No.1163/2024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, अयोध्या

परिवाद सं० 744/2022
धारा– 190 दं०प्र०सं०
आकाश कसौधन बनाम प्रियंका कसौधन।
थाना– पूराकलंदर, जनपद अयोध्या।

दिनांकः 23.04.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। बार-बार पुकार कराये जाने पर परिवादी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं है। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं है। पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को परिवाद के रूप में दर्ज हुई। पत्रावली बयान अंतर्गत धारा- 200 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। विगत कई पेशियों से परिवादी को धारा- 200 दं०प्र०सं० बयान अंकित कराने हेतु पर्याप्त एवं अंतिम अवसर दिया गया किन्तु उसके पश्चात परिवादी लगातार अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है। पत्रावली बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० हेतु नियत है किन्तु परिवादी निरन्तर अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा वाद को संचालित करने में कोई रूचि नहीं है। अतः परिवादी द्वारा पत्रावली पर बल न देने व परिवादी की अनुपस्थिति तथा साक्ष्य के अभाव में धारा–203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद, परिवाद संख्या– 744/2024, आकाश कसौधन बनाम प्रियंका कसौधन, अंतर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23.04.2025

(सतीश कुमार मगन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– प्रथम,
अयोध्या।
J.O.Code-UP2226

Digitally signed by SATISH KUMAR MAGAN
Date: 2025.04.23 09:58:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court